प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023 प्र0सू0रि0 सं. 194/2023 दिनांक 18/7/2023

2. (I) अधिनियम ... .धारायें. 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम .... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 886 समय 6:20 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– सोमवार, 17.07.2023 समय 02.20 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.07.2023 समय 11.00 एएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– पुलिस थाने बान्दीकुँई के पास एस.बी.आई. बैंक के सामने परिवादी की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान के सामने बनी चाय की थडी के पीछे की गली
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 35 कि0मी0 लगभग, उत्तर पश्चिम कोण में
   (ब)पता – पुलिस थाने बान्दीकुँई के पास एस.बी.आई. बैंक के सामने परिवादी की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान के सामने बनी चाय की थडी के पीछे की गली
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री विश्राम सैनी
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री जम्बूराम सैनी
   (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 29 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– कृषि
   (ल) पता– निवासी ग्राम झाडला किरतपुरा तहसील बान्दीकुँई जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : – श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम गोठ, तहसील व पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर हाल हैड कानि. नं. 23 पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 2500/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 2500/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री जम्बूराम सैनी उम्र 29 साल जाति सैनी निवासी ग्राम झाडला किरतपुरा तहसील बान्दीकुँई जिला दौसा ने दिनांक 14.07.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मेरे ससुर श्री रामकिशन पुत्र श्री हरिराम, जाति सैनी, निवासी गादला, सिकन्दरा, पुलिस थाना सिकन्दरा, जिला दौसा में मेरे व मेरे भाई तथा माता–पिता के नाम दिनांक 16.06.2023 को पुलिस थाना बांदीकुई में मेरी पत्नि मनीषा के साथ मारपीट करने व बन्धक बनाने के आरोप में मुकदमा नंबर 248/2023 दर्ज करवाया है, जिनकी जांच राजेन्द्र प्रसाद जी हैड कानि. के द्वारा की जा रही है। राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. ने दिनांक 8.7.23 को मेरे से कहा कि आपका चालान कर देगे और व आपके भाई व माता–पिता को मुकदमे से निकाल देगे। आप मुझे 5000/–रूपये दे दो। मैंने मना किया तो उसने मुझे रात भर थाने में बन्द रखा और अगले रोज कोर्ट से छोडा और कहा कि अगर 5000/–रूपये नहीं दिये तो तुम चारों को

बन्द कर दूंगा। मैंने कहा हमारा चालान कर दो हम निर्दोष है, कोर्ट से बरी हो जायेगे, तो उन्होने मेरे को धमकी दी है कि 5000/–रूपये नहीं दिये तो चारों को मुजरिम बना दूंगा। राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. को 5000/–रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहता हूं। बल्कि उसे 5000/–रूपये रिश्वत के लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी हैड कानि. से कोई रंजिश, दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बाकी है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अकिंत तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना ताईद किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री राकेश कुमार 70 को मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा के लिए समय करीब 11.30 ए.एम. पर रवाना किया। इसके बाद दिनांक 15.07.2023 को समय करीब 5.30 पी.एम. पर श्री राकेश शर्मा कानि0 70 मय परिवादी श्री विश्राम सैनी के रवाना शुद्वा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि0 पुलिस थाना बान्दीकुॅई जिला दौसा से उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द्व शुद्वा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं और आपका कानि. श्री राकेश कुमार दिनांक 14.07.2023 को रवाना होकर पुलिस थाना बांदीकुई के नजदीक पहुंचकर मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। इसके बाद मैं तो वॉईस रिकॉर्डर चालू कर पुलिस थाने के अन्दर चला गया तथा श्री राकेश कुमार कानि. थाने के बाहर ही मेरे उपर नजर रखते हुए खडा हो गया। मैंने थाने के अन्दर श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब का मालुमात किया तो मुझ वह नहीं मिला। इस पर मैंने अन्य स्टाफ सदस्यों से पूछा तो थाने से बाहर जाना एवं शाम लेट तक या कल आने के लिये कहा। इस पर मैं थाने के अन्दर से बाहर आया एवं राकेश कुमार को ये बाते बताई। इस पर राकेश ने जरिये दूरभाष आपको बताया। तत्पश्चात् राकेश कुमार ने मेरे से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास रखा एवं हम वहां से रवाना होकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच रात्रि मुकाम हुए। इसके बाद दिनांक 15.07.2023 को मैं और राकेश कुमार मेरे निवास स्थान ग्राम झाडला कीरतपुरा से मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना बान्दीकुॅई के नजदीक पहुॅचकर मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी की। इसके बाद राकेश कुमार ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालूकर दिया तो मै वाईस रिकॉर्डर को लेकर थाने में श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि0 के पास चला गया और आपका कानि0 श्री राकेश शर्मा उस पुलिस थाने के बाहर ही खडा हो गया। मै पुलिस थाना बान्दीकुॅई में अन्दर गया तो मुझे श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब थाने पर नही मिले इस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर 8107659783 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9413444421 पर वार्ता की तो श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब नु मुझे थाने के बाहर चाय की थडी पर मिलने के लिए कहा। इस पर मै चाय की थैडी पर आ गया। कुछ समय बाद श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब भी चाय की थडी पर मेरे पास आये तो मै उससे पहले टेपरिकॉर्डर को चालू कर लिया, फिर वह मुझे चाय की थैडी के पीछे ले जाकर कहा कि आप मुझे 5,000 रूपये दे दो मै आपके भाई व मम्मी पापा को मुलजिम निकाल दुगां तथा तुम्हारे अकेले का चालान पेश कर दुगां। आपका अकेले का चालान पेश करने पर कोर्ट से भी आपकी जमानत हो जायेगी। इस पर मैने कहा कि साहब कोई दिक्कत तो नही आयेगी तब उन्होने कहा कि कोई दिक्कत नही आयेगी। इसके बाद मैने कहा कि साहब कुछ कम करलो तो उन्होने मुझे कहा कि 4,000 हजार दे देना, तब मैने उनको मेरे पास से उसी समय 1500 रूपये अपनी जेब से निकालकर दे दिये, जिन्होने मेरे से लेकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिये। इसके बाद मैने उनको शेष 2500 रूपये एक दो दिन में देने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि ठीक है। इसके बाद वह थाने के अन्दर चला गया तथा मै श्री राकेश कानि0 के पास आया और उनको ये सभी बाते बताई। तत्पश्चात हम दोनों वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। परिवादी की बातों की ताईद श्री राकेश शर्मा कानि0 ने भी की। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा पहले 5,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा फिर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 1500 रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष रिश्वत राशि 2500 रूपये एक दो दिन में देने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया

गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को संदिग्ध आरोपी द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि अपने साथ लेकर दिनांक 17.07.2023 को समय 8.00 एएम पर गोपनीयता बनाये रखते हुये कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं पूर्व के तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 17.07.2023 को समय 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 17.07.2023 को पाबन्द शुदा परिवादी श्री विश्राम सैनी कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2500/–रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के जरिये दूरभाष तलबी शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री मगंल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत्त दौसा एंव श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड नागंल राजावतान (लवाण–II) दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 14.07.2023 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 15.07.2023 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टी से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सूना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री विश्राम सैनी ने की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की पेन ड्राईव व डीवीडी बनाने हेतु दो पेन ड्राईव व दो डी. वी.डी. खाली मगंवाई जाकर पेन ड्राईव व डी.वी.डी. को खाली होना सुनिशचित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनों पेन ड्राईव व दोनों डी.वी.डी. पर मार्क– A-1, A-2, A-3, A-4 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री विश्राम सैनी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दो पेन ड्राईव व एक डी.वी.डी. मार्क A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों पेन ड्राईव व डीवीडी को अलग–अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त पेन ड्राईव व डी.वी.डी. की जो क्लोन कॉपी की गई थी उसकी हैश वैल्यू पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री विश्राम सैनी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 05 नोट कुल 2500/–रू0 निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटो पर श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 2500/–रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री

विश्राम सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री मंगल सिंह मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 2500/–रू. के नोट श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 से परिवादी की पहनी हुई जीन्श की पेंट की बगल की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में प्रेमप्रकाश कानि0 382 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात समय करीब 12.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री विश्राम सैनी व स्टाफ सदस्य सर्व श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101 व श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एक प्राईवेट वाहन एवं एक सरकारी वाहन तथा परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बांदीकुई के लिए रवाना होकर पुलिस थाना बांदीकुई के नजदीक पहुॅचे जहां जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास पुलिस थाना बांदीकुई के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना बांदीकुई के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई ईशारा किये हुए ही मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास आया एवं बताया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब थाने पर नहीं है। मेरी दुकान पर चलकर उनसे मेरे मोबाईल से वार्ता करूंगा। इस पर समस्त स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर परिवादी की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान बांदीकुई पर आया और परिवादी के मोबाईल नंबर 8107659783 से श्री राजेन्द्र प्रसाद के मोबाईल नं. 9413444421 पर वार्ता करवाई गई तो श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब ने परिवादी को कुछ देर में उसकी दुकान के सामने बनी चाय की थडी पर आने के लिये कहा। इस पर स्टाफ सदस्यों को उस थडी के आस–पास मौके अनुसार अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा किया जाकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 2.20 पी.एम. पर परिवादी श्री विश्राम सैनी ने पुलिस थाने बान्दीकुॅई के पास एस.बी.आई. बैंक के सामने अपनी इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान के सामने बनी चाय की थडी के पीछे गली में खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार मैं पुलिस थाना बांदीकुई में श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. के पास उनकी मांग अनुसार रिश्वती राशि 2500 रूपये देने के लिये गया, तो वह मुझे थाने पर नहीं मिला। इस पर मैं थाने से मेरी दुकान इलेक्ट्रोनिक्स पर आया और अपने मोबाईल नंबर 8107659783 से श्री राजेन्द्र प्रसाद के मोबाईल नं. 9413444421 पर वार्ता की तो श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब ने मुझे कुछ देर में मेरी दुकान के सामने बनी चाय की थडी पर आने के लिये कहा। इसके बाद समय करीब 2.10 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड साहब चाय की थडी पर आये और मुझे ईशारा कर बुलाया तो मैं डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर उनके पास गया तो वह मुझे चाय की थडी के पीछे ले जाकर कहा कि आप एक गवाह ले आना और मुझे 2500 रूपये दे दो मैं तेरे भाई और तेरे मम्मी पापा का नाम काट दूंगा और तेरे एक विरूद्ध चालान पेश कर दूंगा। इस पर मैंने अपनी जेब से पाउडरयुक्त 2500 रूपये निकालकर उनको दिये तो उन्होंने अपने बांये हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब में रख लिये। इसके बाद मैंने मौका पाकर आपको मुकर्रर ईशारा कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने पास पेन्ट–शर्ट पहने हुए खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. साहब है, जिन्होनें अभी–अभी मुझसे हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं. 248/23 में मेरे भाई व मेरे मम्मी पापा को मुल्जिम निकालने के लिये अपनी तयशुदा रिश्वती राशि के शेष 2500 रूपये मांग कर अपने बांये हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखे है, जो अभी–भी इनकी जेब में ही है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम गोठ, तहसील व पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर हाल हैड कानि. नं. 23 पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. 23 को परिवादी श्री विश्राम सैनी से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 15.07.2023 को 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 4000/–रूपये में सहमत होकर 1500/–रूपये मौके पर ही प्राप्त करने एवं अपनी उक्त मांग की अनुशरण में परिवादी, उसके भाई, उसके मम्मी पापा के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं. 248/2023 में उसके भाई एवं मम्मी पापा को मुल्जिम निकालने की ऐवज में आज दिनांक 17.07.2023 को 2500/–रूपये प्राप्त की गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. ने बताया कि दिनांक 15.07.2023 को श्री विश्राम सैनी ने मुझे फोन कर चाय की थडी पर बुलाया तब मैंने इसको इसके मुकदमे में स्वतंत्र गवाह लाने के लिये कहा तो विश्राम ने मना कर दिया फिर विश्राम ने कहा कि साहब मुझे कुछ समय दो मैं गवाह का इन्तजाम कर दूंगा। मैंने विश्राम सैनी से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और न ही उस दिन प्राप्त की। आज इसने समय करीब 1.55 पी.एम. पर फोन कर मुझे चाय की थडी पर बुलाया, तो मैं चाय की थडी पर इसके पास गया तो इसने जबरदस्ती मेरे हाथ में 2500 रूपये दे दिये। मैंने इसको ये पैसे वापस देने की कोशिश करी लेकिन इसने कहा कि रख लो फिर मैंने उक्त रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये और इसको गवाह लाने के लिये कहा। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने कहा कि साहब हैड साहब झूठ बोल रहे है। इन्होने मेरे से हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमे में जिसका अनुसंधान ये स्वयं कर रहे है, उसमें मेरे भाई व मेरे मम्मी पापा को मुल्जिम निकालने की ऐवज में दिनांक 15.07.2023 को मांग सत्यापन के समय 5000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की थी, जिस पर मेरे द्वारा कम करवाने पर 4000 रूपये में सहमत होकर मेरे से 1500 रूपये प्राप्त कर शेष राशि एक–दो दिन में देने हेतु कहा। मैंने आज उक्त शेष रिश्वती राशि 2500 रूपये श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. की मांग के अनुसार इनके पास देने आया, तो इन्होने मेरे से मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब में रख लिये। इसके बाद आरोपी राजेन्द्र प्रसाद, हैड कानि. से वापस पूछा तो वह कुछ नही बोला और चुपचाप खडा रहा। तत्पश्चात आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों से पकडने बाबत कहा तो श्री लोकेश कुमार नं. 155 ने आरोपी का बांया हाथ एवं श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस ने आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से अलग–अलग पकड लिये। इसके बाद उक्त स्थान पर काफी लोगों की भीड होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुए आरोपी के दोनों हाथों को पकडे हुए ही मय स्टाफ सदस्यों के पुलिस थाना बांदीकुई में थानाधिकारी के कक्ष में आये एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद को हाथ पकडे हुए ही कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद पुलिस थाना बांदीकुई में रखी पानी की मटकी से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में

पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. नं. 23 के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. 23 की पहनी हुई सलेटीया धारीदार पेन्ट की बगल की बांयी जेब की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक कुमार शर्मा से लिवाई गई तो श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. नं. 23 की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब में कुछ रूपये होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री दीपक कुमार शर्मा ने आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांयी जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 5 नोट कुल 2500/–रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का मिलान कर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी के कहे अनुसार उसके पुलिस थाना बांदीकुई में स्थित क्वार्टर से एक पेन्ट मंगवाकर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. की उक्त पेन्ट बरंग सलेटिया लाईनदार की बगल की बांयी जेब में रिश्वत राशि 2500/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है। उक्त पेन्ट को शालीनता पूर्वक श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. के बदन से उतरवाया जाकर मंगवाई गई पेन्ट को पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की बगल की बांयी जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट बरंग सलेटिया लाईनदार की बगल की बांयी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती सीडी तैयार की जावेगी। आरोपी से परिवादी व उसके भाई, माता–पिता के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं. 248/23 की पत्रावली बाबत पूछा गया तो पत्रावली पुलिस चौकी मुकरपुरा, बांदीकुई पर होना बताया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। इसके बाद आरोपी के पुलिस थाना बांदीकुई में स्थित क्वार्टर की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई एवं परिवादी से संबंधित प्रकरण संख्या 248/2023 की मूल पत्रावली की फोटोप्रति करवाई जाकर बाद प्रमाणित जरिये फर्द जप्त की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद किया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री मंगल सिंह मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री दीपक कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता व परिवादी श्री विश्राम सैनी के समक्ष परिवादी श्री विश्राम सैनी व आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैड कानि. नं. 23 के मध्य दिनांक 17.07.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री विश्राम सैनी द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर तीनों को

खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से दो पेन ड्राईव व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव व डीवीडी पर डीवीडी पर मार्क– B-1, B-2, B-3 व B-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री विश्राम सैनी के हस्ताक्षर करवाकर दोनों पेन ड्राईव व एक डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर कवर सहित पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3 को अलग–अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B-1, B-2 व B-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क B–4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज आरोपी तैयार की गई एवं आरोपी के सहकर्मी से मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की डी.वी.डी. को चालूकर सुनाया जाकर आरोपी की आवाज की फर्द पहचार आवाज तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. नं. 23, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–38 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी को उसके निवास स्थान के लिए रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्यों के मय गिरफतार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. नं. 23, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा, जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर एक प्राईवेट वाहन एंव सरकारी वाहन मय चालक के पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहुँचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा शीशीयॉ व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 2500/–रूपये को जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम गोठ, तहसील व पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर, हाल हैड कानि. नं. 23, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री जम्बूराम सैनी उम्र 29 साल जाति सैनी निवासी ग्राम झाडला किरतपुरा तहसील बान्दीकुँई जिला दौसा से उसके ससुर रामकिशन सैनी निवासी गादला, सिकन्दरा, जिला दौसा द्वारा उसके एवं उसके भाई व मम्मी पापा के विरूद्ध पुलिस थाना बांदीकुई में परिवादी की पत्नि श्रीमति मनीषा के साथ मारपीट कर बंदी बनाने का मुकदमा नंबर 248/23 दर्ज करवाने पर उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा परिवादी के भाई व उसके मम्मी पापा को मुल्जिम निकालने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 15.07.2023 को परिवादी से 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 4000/–रूपये रिश्वत राशि लेने में सहमत होकर अपनी तयशुदा रिश्वती राशि में से 1500/–रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष राशि 2500/–रूपये अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 17.07.2023 को परिवादी से मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांई जेब में रखना तथा उक्त राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की बगल की बांई जेब से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम गोठ, तहसील व पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर, हाल हैड कानि. नं. 23, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा, हाल हैड कानि0 नम्बर 23, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 194/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक- 2363-66 दिनांक 18.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।